**FORM III**

**फर्द अहकाम**

**(नियम – 26)**

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)**

**जुगलकिशोर वगै0 बनाम तहसीलदार**

**किस्म मुकदमा** प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी **मु0नं0** 335 **सन् 2025 जीसीएमएस नं.** 2025/578

| | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 6-2025 | रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली आज पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा 2025 के तहत कैम्प स्थल अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिरोही में पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रामचन्द्र वर्मा उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 18.06.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थीगण अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। अप्रार्थी तहसीलदार नीमकाथाना ने प्रकरण में अनापत्ति दर्ज करवायी।<br><br>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 18.06.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 18.06.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–<br><br>**<u>आदेश</u>**<br><br>तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम गणेश्वर पटवार हल्का गणेश्वर तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 2396/1152, 2395/1152 में प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 18.06.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से मजमें आम सुनाया गया।<br><br>**(राजवीर सिंह यादव)**<br>**उपखण्ड अधिकारी,**<br>**नीमकाथाना** | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.07.11 13:21:52 IS
Reason: SelfAttested